न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –131/2022
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/156

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मैसर्स जे.के. व्हाइट सीमेन्ट वर्क्स, गोटन (यूनिट ऑफ मैसर्स जे. के. सीमेन्ट लिमिटेड) जरिये स्पेशल पॉवर ऑफ ऍटार्नी होल्डर, श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री सोमनाथ शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 46 वर्ष निवासी जे. के. व्हाइट सीमेन्ट वर्क्स परिसर, गोटन।		1. तहसीलदार, मेड़ता, जिला नागौर (राज0) 2. रामस्वरूप कस्वां सरपंच ग्राम पंचायत टूंकलिया तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री. श्यामकुमार व्यास एवं श्री ओम प्रकाश गौड।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से ओम प्रकाश पूनिया राजपैरोकार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका।

निर्णय दिनांक 16-01-2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता के आदेश 30.12.1978 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.04.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील क साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र वास्ते बिना आदेश की प्रति के अपील पेश करने व ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने बाबत पेश किया, जिसमें अपीलान्ट द्वारा बावजूद प्रयास के आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रति नहीं मिलने से केवल म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति लेकर अपील पेश की है, का उल्लेख करते हुए उक्त परिस्थितियां में आदश जैर अपील की प्रमाणित प्रति पेश किये बिना उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने एवं ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में रामस्वरूप कस्वां सरपंच ग्राम पंचायत टूंकलिया तहसील मेड़ता, जिला नागौर के आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर आदेशिका दिनांक 02.08.2022 अनुसार उसे अप्रार्थी संख्या–2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र आदेशिका दिनांक 28.09.2022 के अनुसार स्वीकार किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा के पत्रांक–546 दिनांक 22.04.2022, से उक्त आदेश दिनांक 30.12.1978 जिसके द्वारा ग्राम धनापा तहसील मेड़ता के खसरा नम्बर 395 गोचर घोषित किया गया, उक्त आदेश दिनांक 30.12.1978 एवं इससे संबंधित मूल पत्रावली तहसीलदार मेड़ता से चाही गई। तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक–भू.अ./विविध/2022/707 दिनांक 05.07.2022 से अवगत कराया कि "इस कार्यालय के आदेश कमांक/भू.अ./विविध/2022/192 दिनांक 04.05.2022 के द्वारा कार्मिकों की टीम गठित कर आदेश दिनांक 30.12.1978 एवं इससे संबंधित मूल पत्रावली को तलासने हेतु टीम का गठन किया गया। गठित कार्मिकों की टीम ने बताया की पुराना रेकर्ड दीमक लगने व वर्षा के पानी से भीगने (शीलन) से करीब–करीब पुराना रेकॉर्ड नष्ट एवं जीर्ण–शीर्ण हो चुका है तथा कार्यालय भवन के पुराना होने के कारण पानी से भीगने के कारण कुछ रेकॉर्ड अपठनीय है। अतः उक्त आदेश दिनांक 30.12.1978 एवं इससे संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय हाजा रेकॉर्ड रूम में नहीं मिलने से भिजवाया जाना संभव नहीं है।

कलक्टर नागौर

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने ने लिखित बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मेड़ता के आदेश दिनांक 30.12.1978 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। ग्राम धनापा तहसील मेड़ता के खसरा नम्बर 395 काफी लम्बे समय से खनिज खनन के काम आता है तथा इसमें खनिज खनन का कार्य होता है। इस खसरा में अपीलांट राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० व अन्य व्यक्तियों की माइनिंग लीजे है। तहसीलदार मेड़ता ने अपीलांट व अन्य लीज धारियों को नोटिस दिये बिना तथा विधि सम्मत कार्यवाही किये बिना उक्त खसरा को गोचर घोषित करने का आदेश दिनांक 30.12.1978 को पारित कर दिया जो बिना अधिकार व विधि विरूद्ध तथा ऐबइनिशियो वोइड है जो निरस्त होने योग्य है।

न्याय का सामान्य व मान्य सिद्धांत है कि किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने व आदेश पारित करने से पूर्व उसको नोटिस व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। तहसीलदारजी मेड़ता ने वादग्रस्त स्थल खसरा नं. 395 को गौचर घोषित करने से पूर्व अपीलांट व अन्य लीजधारियों को नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया, इसलिए तहसीलदारजी मेड़ता का आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जो न्याय के सामान्य सिद्धांतो के भी विरूद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है।

वादग्रस्त स्थल आज तक गौचर के रूप में काम में नहीं आई है। वादग्रस्त स्थल मौके पर पहाड़ की भूमि है जो ग्राम धनापा में स्थित है जिसमें बहुत पुराने समय से माईनिंग का कार्य होना प्रारंभ हो गया, भूमि गौचर के उपयोग की नहीं रही। किसी भूमि को गौचर घोषित करने के संबंध में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है–"धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–(1) राज्य सरकार के साधारण आदेशो के अध्याधीन, कलक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए यथाः पशुओं की मुफ्त चारागाह के लिए, वन आरक्षण लिए, आबादी के विकास के लिए किसी भी अन्य लोक या नगर पालिका प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि, कलक्टर की पूर्व मंजुरी के बिना ऐसा प्रयोजन से अन्यथा किसी उपयोग में नहीं लाई जायेगी।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट है कि तहसीलदार को गौचर भूमि घोषित करने या किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, तहसीलदार ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त भूमि को गौचर घोषित करने व राजस्व रेकर्ड में गौचर दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है। आदेश विधि संगत नहीं था, बिना अधिकार/क्षैत्राधिकार के बाहर था व है, जो निरस्त होने योग्य है।

गौचर भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी (गवर्नमेंट) नियम 1955 में प्रावधान है जो इस प्रकार है–Rule 6 of Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 In all villages, which have been surveyed and in which no pasturelands have earmarked the Tehsildar shall proceed to earmark suchland from the unoccupied area of Maqbooja Birs of the village inconsultation with the village Panchayat. In doing so he shall have regard to the total number of the cattle in the village and adopt roughly a scale of one half bigha per head of cattle and also take in to consideration not only the cattle population of the village but also its total unoccupied area, the area under cultivation and the demand forcultivation. The Tehsildar shall announce the villagers the proposal that he intend to make, and the S.D.O. shall give an opportunity to the villagers to advice any objections to the proposal that they may wish to make before he finally sanctions the Tehsildar's proposal.

उपरोक्त सभी तथ्यों व अभिकथनों के आधार पर यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि किसी भी भूमि की किस्म परिवर्तन करने या गौचर दर्ज करने से पूर्व तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को मौका निरीक्षण करके यह तय करना होता है कि उक्त भूमि गौचर प्रयोजनार्थ काम आ रही है या नहीं? उसके पश्चात ही अपनी रिपोर्ट, प्रस्ताव बनाकर विधिवत जिला कलक्टर के यहां प्रेषित किया जाता है व बाद जांच जिला कलक्टर या राज्य सरकार ही गौचर भूमि दर्ज करने हेतु

कलक्टर नागौर

सक्षम अधिकारी होता है। मगर प्रकरण हाजा में तहसीलदार जी या उपखण्ड अधिकारी जी ने गौचर दर्ज करने से पूर्व मौके पर आकर किसी प्रकार की जांच या निरीक्षण नहीं किया है। यदि मौका निरीक्षण किया जाता तो स्पष्ट हो जाता कि उक्त भूमि मौके पर गौचर के रूप में कभी भी काम नहीं आई, बल्कि लम्बे समय से नियमानुसार राज्य सरकार से जारी माईनिंग लीज के अनुसार खनन कार्य हो रहा है इसके बावजूद ही उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गौचर दर्ज करने की कार्यवाही व आदेश हुऐ है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

वर्ष 1974 में खसरा नं. 395 में मैसर्स गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग के पक्ष में 15 वर्ग कि.मी. खनन लीज आवंटित की गई थी, उसी मे से 4 वर्ग कि.मी. खनिज क्षेत्र वर्ष 1987 में अपीलांट जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स के पक्ष में हस्तान्तरित हुआ था, जिस पर खनन कार्य चल रहा है। परिशिष्ट–1 अपीलांट के हक में लीज हस्तान्तरण आदेश की प्रति एवं राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 के हक में लीज आवंटन आदेश की प्रति पत्रावली में पेश की हुई है।

पुराने खसरा नं. 395 में 10000 बीघा भूमि अवैध तरीके से गौचर घोषित होने के उपरांत जो नऐ खसरे बने उसमें खसरा नं. 3471 व खसरानं. 3091 इन दो खसरों में अपीलांट एवं अन्य लीज धारियों की लीजें है जिसमें गौचर दर्ज होने के पहले से ही खनन लीजें आवंटित थी व खनन कार्य चालू था व आज भी पूर्वानुसार नियमित संचालित हो रहा है। अपीलांट कम्पनी राजस्थान सरकार व भारत सरकार को टेक्स के रूप में व रॉयल्टी के रूप में प्रतिवर्ष कई वर्षो से भारी रकम जमा करवाती आ रही है और हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाती आ रही है यदि अपीलांट का खनन कार्य आदेश जैर अपील से बाधित होता है तो अपीलांट के कारखाने, कच्चे माल के अभाव में बंद हो जायेगी, जिससे सरकार की आय व कर्मचारियो के रोजगार पर भी भारी विपरीत असर पडेगा, ऐसी स्थिति में उस भूमि का गौचर दर्ज करने का आदेश बिना अधिकार के, अवैध व शून्य है व निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में दस्तावेजात पत्रावली में पेश है, का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार करने तथा तहसीलदार मेड़ता का आदेश दिनांक 30.12.1978 जिसके द्वारा ग्राम धनापा तहसील मेडता के खसरा नं. 385 गौचर घोषित किया है उसे निरस्त करने एवं अन्य न्यायोचित आदेश जो अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध हो पारित करने का निवेदन किया है।

वकील श्री रमेश कुमार ढाका ने लिखित बहस में कथन किया कि विवादित भूमि सरकारी भूमि थी, जिसे तहसीलदार द्वारा पशुओं के लिये चारागाह घोषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसके अलावा अपीलांट ने अपनी सम्पूर्ण अपील में कहीं पर भी खसरा नम्बरों का उल्लेख नहीं किया है कि, ये–ये खसरा नम्बर उन्हें खनन के लिये आवंटित किया गया है। तथा इन खसरों को गलत रूप से चारागाह घोषित कर दिया हो तथा ऐसा कोई रिकार्ड भी पेश नहीं किया गया है कि 10,000 बीघा गैर मुमकीन पहाड़ था। जो अपीलांट को आंवटित किया जा चुका हो। इसके अलावा अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि, अन्य व्यक्तियों को भी लीज आवंटित हुई थी, किन्तु अन्य किसी भी व्यक्ति ने न तो तहसीलदार के आदेश को चुनौती दी है और न ही अन्य लीजधारी उक्त अपील में पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपने से हटकर किसी अन्य के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अपीलांट यदि स्वच्छ हाथों से आते तो वे अपनी अपील में अंकित करते कि, उनकी 100 बीघा या 200 बीघा आवंटित हुई, इसलिये प्रभावित है तथा धारा 96 सीपीसी का आवेदन पेश कर अपील पेश करने की अनुमति लेते, किन्तु अपीलांट जो अधीनस्थ न्यायालय में न तो पक्षकार थे और न ही उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ऐसी स्थिति में सीधे ही अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किन्तु उक्त अपील को देखने से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि, अपीलांट को माइनिंग लिज के लिये कितनी बीघा भूमि दी गई थी यह स्पष्ट नहीं है तथा जब तक

कलक्टर नागौर

उक्त तथ्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि की खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता।

उक्त चारागाह गोचर भूमि तीन ग्राम पंचायतों के पशुओं को चराने के काम में आती है तथा और भी कई प्रकार की जीव जन्तु इस चारागाह भूमि में रहते हैं। यदि उक्त सम्पूर्ण भूमि को किसी आदेश की आड़ में खनन घोषित कर दिया गया तो चारागाह भूमि समाप्त हो जायेगी जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा तथा पशुओं के सामने भी चारे की भारी समस्ता खड़ी हो जायेगी। जबकि खनन के लिये कितनी भूमि दी गई थी यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की उक्त अपील आधे अधूरें तथ्यों व अस्पष्ट अभिवचनों के आधार पर पेश की हुई होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है वह आदेश न्यायालय के सामने पेश ही नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण भरने मात्र से यह कैसे माना जा सकता है कि जो आदेश पारित किया गया है वह तहसीलदार द्वारा ही पारित किया गया हैं तथा नामान्तरकरण को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को नहीं है। इसके अलावा नामान्तरकरण को निरस्त करवाने के लिये भी एक अपील श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष पेश की गई थी जिसका भी कोई निस्तारण नही हुआ है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा उसी प्रकरण के संबंध में पूर्व अपील के विचाराधीन रहते दूसरी अपील में निर्णय किया जाना भी उचित व न्यायासंगत नहीं है।

अपीलांट का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है कि उन्हें उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही हो क्योंकि, अपीलांट एक बहुत बड़ी कम्पनी है जिसके पास कानून के जानकार व कई ऑफिसर कार्य करते है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा यह कहना कि, उन्हें पूर्व में उक्त आदेश की जानकारी 44 साल तक नहीं रही हो मिथ्या है। इसलिये उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्यहै।

खसरा नम्बर 3471 एंव 3090 भूमि प्रारम्भ से ही चारागाह भूमि रही है जोकि समस्त ग्राम पंचायत टुंकलिया के पशुधन के चरने के लिये काम में आ रही है उक्त भूमि पर कभी भी कोई माईनिंग लीज के काम में नहीं आई है तथा वादग्रस्त भूमि चारागाह होने के कारण इसको खनन के लिये नहीं दी जा सकती तथा न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है जिससे यह साबित होता है कि, आज दिन चारागाह की भूमि पर खनन किया जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपील मिथ्या, मनगढ़त व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। जो खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की उक्त अपीलसारहीन, प्रभावहीन, बेबुनियाद व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश की हुई होने केकारण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने लिखित बहस के जबाब में कथन किया कि हस्तगत अपील तहसीलदार मेड़ता के आदेश दिनांक 30.12.1978 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। ग्राम धनापा तहसील मेड़ता के खसरा नम्बर 395 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3441 व 3091 है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार गोचर के रूप में दर्ज है, जो अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग व उपभोग कीनहीं है। हस्तगत प्रकरण में उक्त खसरा नम्बर 395 की भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से निरीक्षण करतेहुए नियमानुसार समस्त विधिवत कार्यवाही करते हुए ही गोचर घोषित किया गया है, जिसके लिए अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया जाना कतई आवश्यक नहीं है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गोचर जो पशुओं के चराई आदि के उपयोग उपभोग में आ रही है। अपीलान्ट का कथन कि वर्ष 1974 में खसरा नम्बर 395 में से मैसर्स गोटन लाईम स्टोन खनिज उद्योग के पक्ष में 15 वर्ग किलोमीटर खनन लीज आवंटन की गई थी उसी में से 4 वर्ग किलोमीटर खनिज क्षेत्र वर्ष 1987 में अपीलान्ट के पक्ष में हस्तान्तरित हुआ था। अपीलान्ट का उक्त कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वर्तमान रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकिन गौचर के रूप

कलक्टर नागौर

में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा अपीलान्ट ने करीब 44 वर्ष पश्चात उक्त आदेश को चुनौति दी है। अब 44 वर्ष बाद उक्त आदेश को अपीलान्ट द्वारा विधि विरूद्ध बताना कतई न्यायसंगत नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस का मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार मेड़ता द्वारा ग्राम धनापा तहसील मेड़ता के खसरा नम्बर 395 गै.मु. पहाड़ की भूमि में से 10,000बीघा भूमि गोचर घोषित करने के आदेश 996 दिनांक 30.12.78 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

उक्त संबंध में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार मेड़ता से उक्त आदेश दिनांक 30.12.1978 एवं इससे संबंधित मूल पत्रावली चाही गई। उक्त संबंध में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक–भू.अ./विविध/2022/707 दिनांक 06.07.2022 से उक्त आदेश एवं आदेश से संबंधित मूल पत्रावली तलासने हेतु कार्मिकों की टीम गठित की गई, जिस पर उक्त टीम द्वारा पुराना रेकर्ड दीमक लगने व वर्षा के पानी से भीगने (सीलन) से करीब–करीब पुराना रेकार्ड नष्ट एवं जीर्ण–शीर्ण हो जाना अवगत करवाया गया, इसलिए उक्त आदेश एवं इससे संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय हाजा के रेकर्ड रूम में नहीं मिलने से भिजवाया जाना संभव नहीं होना तहसीलदार द्वारा अवगत करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा भी उक्त भूमि को तहसीलदार द्वारा गोचर घोषित करने का उक्त आदेश दिनांक 30.12.78 प्रस्तुत नहीं किया है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92(1) के अनुसार राज्य सरकार के साधारण आदेशो के अध्याधीन, कलक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए यथा: पशुओं की मुफ्त चारागाह के लिए, वन आरक्षण लिए, आबादी के विकास के लिए किसी भी अन्य लोक या नगर पालिका प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि, कलक्टर की पूर्व मंजुरी के बिना ऐसा प्रयोजन से अन्यथा किसी उपयोग में नहीं लाई जायेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी ***सिविल रिट(पीआईएल) संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान राज्य एवं 5 अन्य जनहित याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 17.01.2017 के बिन्दु संख्या–197,*** राजस्व (गुप–7) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक–एफ'10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.04.2011, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–1132/2011 @ एस.एल.पी.(सी) नं.3109/2011 जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र संख्या–9(20)राज–6/2017/09 दिनांक 06.01.21 में चारागाह भूमियों के संबंध निर्देश जारी किये गये है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र आदेशिका दिनांक 28.09.2022 के अनुसार स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या–2 सरंपच, ग्राम पंचायत टुकलिया द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिस पर निगरानी संख्या–5933/2022 जिला नागौर ग्राम पंचायत टूंकलिया तहसील मेड़ता जरिये सरपंच रामस्वरूप कस्वां बनाम मैसर्स जे.के. व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स, गोटन व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.10.2022 से उक्त निगरानी ग्राहयता के स्तर पर खारिज की गई है। उक्त आदेश में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि ***"इस प्रकरण में तहसीलदार मेड़ता के आदेश दिनांक 30.12.78 जिसके द्वारा ग्राम धनापा तहसील मेड़ता के खसरा नम्बर 395 को गोचर घोषित करने के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत कीगई। प्रथम तो तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि गोचर घोषित करने का अधिकार नहीं था। क्योकि विवादित स्थल पर सन् 1974 से अप्रार्थी को माईनिंग लीज राज्य सरकार द्वारा आवंटन की गई थी। एक तरफ 1974 में अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा माईनिंग लीज आवंटन की गई है और दूसरी ओर तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को गोचर घोषित कर दिया गया है। यदि वादग्रस्त भूमि को गोचर घोषित करना था तो सर्वप्रथम अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित***

कलक्टर नागौर

माईनिंग लीज को निरस्त करना चाहिए था। उसके पश्चात ही वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा गोचर घोषित किया जा सकता था।"

तत्कालीन तहसीलदार मेड़ता द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92(1) के उक्त विधिक प्रावधान के विपरित जाकर मौजा धनापा के खसरा नम्बर 395 गै.मु. पहाड़ की भूमि में से 10,000 बीघा भूमि गोचर घोषित दिनांक 30.12.78 को गोचर घोषित कर दिया है। रेस्पोडेन्ट्स ने लिखित बहस में भी ऐसी कोई कानूनी तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ से बदल कर गै.मु. गोचर घोषित करने का तहसीलदार मेड़ता को तत्समय अधिकार रहा था। इससे यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त विधिक प्रावधान अनुसार तहसीलदार मेड़ता को विवादित भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ से गै.मु. गोचर घोषित करने का अधिकार नहीं रहा था तथा जिस आदेश दिनांक 30.12.78 से तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त विवादित भूमि को गोचर घोषित किया है। तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त गोचर घोषित करने का आदेश जैर अपील भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु उपर्युक्त विधिक प्रावधान, माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार के परिपत्रों के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण तहसीलदार मेड़ता द्वारा गोचर घोषित करने का आदेश जैर अपील में किसी का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

सहायक खनि अभियन्ता गोटन ने अपने पत्रांक–977 दिनांक 7.7.2022 से अवगत करवाया है कि मै. गोटन लाईम स्टोन खनिज उद्योग के पक्ष में निकट ग्राम धनापा तहसील मेड़ता जिला नागौर में प्रभावी रहे खनिज लाईम स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र 15 वर्ग कि.मी. में से शासन के आदेश कमांक–86 दिनांक 13.01.1987 द्वारा 04 वर्ग कि.मी. क्षैत्रफल का खनन पट्टा हस्तान्तरण मैसर्स जे. के. व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स (अपीलान्ट) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। जिसकी संविदा का निष्पादन दिनांक 10.02.1987 एवं संविदा का पंजीयन 17.02.1987 को हुआ। उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 07.04.2034 तक है तथा वर्तमान में खनन पट्टेधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा बहस में किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भी वर्ष 1974 में खसरा नं. 395 में मैसर्स गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग के पक्ष में 15 वर्ग कि.मी. खनन लीज आवंटित की गई थी, उसी मे से 4 वर्ग कि.मी. खनिज क्षैत्र वर्ष 1987 में अपीलांट के पक्ष में हस्तान्तरित हुआ था, जिस पर खनन कार्य चल रहा है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एवं मिनरल डवलमेन्ट कॉरपोरेशन को भी खनन पट्टा जारी किया हुआ है। अपीलान्ट के अनुसार उनके द्वारा राजस्थान सरकार व भारत सरकार को टेक्स के रूप में व रॉयल्टी के रूप में प्रतिवर्ष कई वर्षों से रकम जमा करवाती आ रही है। इस प्रकार अपीलान्ट व राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एवं मिनरल डवलमेन्ट कॉरपोरेशन व अन्य को राज्य सरकार द्वारा विधिक रूप खनन लीजे जारी की गई है, जो विधिक रूप से जारी खनन लीज पट्टे के आधार पर वर्तमान में संचालित है।

इस प्रकार प्रकरण में वर्ष 1974 में खसरा नं. 395 में मैसर्स गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग के पक्ष में 15 वर्ग कि.मी. खनन लीज आवंटित की गई थी, उसी मे से 4 वर्ग कि.मी. खनिज क्षैत्र वर्ष 1987 में अपीलांट जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स के पक्ष में हस्तान्तरित हुआ था, जिस पर खनन कार्य चल रहा है। पुराना खसरा नम्बर 395 में से 10,000 बीघा भूमि गोचर घोषित होने के बाद बने नये खसरा नम्बर 3471 व खसरा नम्बर 3091, इन दोनों खसरों में अपीलान्ट व अन्य लीज धारियों की लीजे है, जो गोचर दर्ज होने के पहले से ही लीज आवंटित थी व खनन कार्य चालू था व आज भी पूर्वानुसार नियमित संचालित हो रहा है। खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एवं मिनरल डवलमेन्ट कॉरपोरेशन को भी खनन पट्टा जारी किया हुआ है, राज्य सरकार द्वारा विधिक रूप से आवंटित लीज के तहत वर्तमान में संचालित रही है। तहसीलदार मेड़ता द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92(1) के उक्त विधिक प्रावधान के विपरित जाकर

कलक्टर नागौर

बिना क्षेत्राधिकार के विधि विरूद्ध उक्त भूमि की किस्म बदल कर आदेश पारित कर गोचर घोषित किया है, जिस आदेश में उपर्युक्तानुसार राज्य सरकार के परिपत्रों एवं न्यायिक निर्णयों के तहत हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रभारी अधिकारी (राजस्व) जिला कलक्टर कार्यालय नागौर व तहसीलदार मेड़ता हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार मेड़ता द्वारा ग्राम धनापा के खसरा नम्बर 395 की किस्म गोचर घोषित करने से संबंधित मूल रिकार्ड नहीं भिजवाने के संबंध में आवश्यक जॉच कर संबंधित कर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) जिला कलक्टर कार्यालय नागौर को भिजवावे तथा हस्तगत प्रकरण तहसीलदार मेड़ता द्वारा भूमि को गोचर घोषित करने के आदेश में उपर्युक्तानुसार राज्य सरकार के परिपत्रों एवं न्यायिक निर्णयों के सन्दर्भ में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, परन्तु अपीलान्ट व अन्य को राज्य सरकार द्वारा विधिक रूप से उन्हे आवंटित लीज के तहत वर्तमान में संचालित है। अतः सहायक खनि अभियन्ता गोटन की उपर्युक्तानुसार रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट व अन्य खनन विभाग द्वारा जारी पट्टों के तहत खनन विभाग के आदेशों की कठोरता से पालना करते हुए कार्य करते रहे। उपर्युक्त निर्देशानुसार अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी (राजस्व), प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) जिला कलक्टर कार्यालय नागौर व तहसीलदार मेड़ता को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर नागौर